अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार के रूप में वाद पत्र पर संयोजित किया गया है। पक्षकारान द्वारा मौजा लूणसरा के खसरा नम्बर 268 रकबा 1.1574 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.9065 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 270 रकबा 1.3759 हैक्टेयर का बंट चाहा गया है जो कि पक्षकारान कि पुश्तैनी भूमि रहती आई है। पुश्तैनी भूमि में सभी काश्तकार अपने अपने बंट का विभाजन अलग करवा सकते है। वाद के पैरा संख्या 2 के बिन्दु क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज एवं झ में सभी पक्षकार का अलग–अलग बंट अंकित किया गया है एवं उसी अनुसार पक्षकार द्वारा बंट चाहा गया है एवं किसी भी पक्षकार द्वारा इसका विरोध प्रकट नहीं किया गया है। मौजा लूणसरा के खाता संख्या 759 के खेत खसरा नम्बर 268 रकबा 1.1574 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.9065 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 270 रकबा 1.3759 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 25 को खाते के अन्य खातेदारान के साथ सहखातेदार कृषक घोषित करते हुए वाद अनुसार वाद को डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 24 व 25 क्रमशः गीता, सायरी, भाटूदेवी, ईग्यारसी, मैना, सम्पत, सुगनाई, फुली, सुन्दरी, सन्तु, बिदामी एवं ममता ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 नेनूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नम्बर 270 रकबा 1.3759 हैक्टेयर में से रकबा 0.3439 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नम्बर 270 रकबा 1.3759 हैक्टेयर में से रकबा 0.3440 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 प्रहलादराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नम्बर 270 रकबा 1.3759 हैक्टेयर में से रकबा 0.3440 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 हरीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नम्बर 270 रकबा 1.3759 हैक्टेयर में से रकबा 0.3440 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. वादी संख्या 2 चेलाराम एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8 क्रमशः श्रवणराम एवं किशोर के सह हक बंट सह कब्जा काश्त में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नम्बर 269 रकबा 0.9065 हैक्टेयर में से रकबा 0.4533 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
6. वादी संख्या 3 गरीबराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नम्बर 269 रकबा 0.9065 हैक्टेयर में से रकबा 0.4532 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

7. प्रतिवादी संख्या 12 से 16 क्रमशः सियाराम, पिपुराम, सम्पूराम, मदाराम एवं रामप्यारी के सह हक बंट सह कब्जा काश्त में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नम्बर 268 रकबा 1.1575 हैक्टेयर में से रकबा 0.5787 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
8. प्रतिवादी संख्या 18 से 20 क्रमशः बहादुरराम, पुरखाराम एवं लालाराम के सह हक बंट सह कब्जा काश्त में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नम्बर 268 रकबा 1.1575 हैक्टेयर में से रकबा 0.5788 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
9. प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 24 व 25 क्रमशः गीता, सायरी, भाटूदेवी, ईग्यारसी, मैना, सम्पत, सुगनाई, फुली, सुन्दरी, सन्तु, बिदामी एवं ममता के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
10. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।
11. उक्त खसरान के बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 21.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner